

103 किलो मूंगफली तेल सीज, एक क्विंटल अवधिपार खाद्य सामग्री को मौके पर नष्ट कराया

कार्यवाही के दौरान 1 क्विंटल के लगभग अवधिपार मिली खाद्य सामग्री जिसमें सॉस, मसाले, चाय पत्ती शामिल हैं नष्ट करवाये गये



15 लीटर अवधिपार कॉल्ड ड्रिंक को भी करवाया नष्ट

भीम में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही

सरसों तेल का नमूना लिया गया तथा निरीक्षण के दौरान अवधि पार तेल, चाय पत्ती, नमक, मसाले तथा अन्य खाद्य सामग्री लगभग 70 किलोग्राम को मौके पर ही नष्ट करवाया गया।

उन्होंने बताया कि लिए गये खाद्य पदार्थों के नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर में भिजवाया जायेगा तथा जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द शर्मा, प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेन्द्र डांगी तथा सहायक महेन्द्र सिंह शामिल थे। सीएमएचओ डॉ. हेमन्त कुमार बिन्दल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशो पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित कार्यवाही की जायेगी।

राजसमंद, (कासं)। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के आदेशों पर सीएमएचओ डॉ. हेमन्त कुमार बिन्दल के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा दल द्वारा भीम में बड़ी कार्यवाही कर 103 किलो मूंगफली का तेल को मौके पर सीज किया गया तथा कार्यवाही के दौरान 1 क्विंटल के लगभग अवधिपार मिली खाद्य

सामग्री जिसमें सॉस, मसाले, चाय पत्ती शामिल हैं नष्ट करवाये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द शर्मा ने बताया कि भीम क्षेत्र में कमलेश किराणा एंड जनरल स्टोर से मूंगफली के तेल का एक नमूना लिया गया तथा लगभग 103 किलोग्राम मूंगफली के तेल को मौके पर सीज किया गया। उक्त फर्म पर अवधि पार 30 किलोग्राम के लगभग सॉस तथा मसाले को भी

मौके पर ही नष्ट करवाया गया। टीम ने भीम रोडवेज बस स्टैंड रोड स्थित नाकोडा स्वीट्स एण्ड किराणा स्टोर से मूंग दाल तथा मसूर की दाल का एक नमूना लिया तथा लगभग 15 लीटर अवधिपार कॉल्ड ड्रिंक को नष्ट करवाया। टीम ने भीम हॉस्पिटल रोड स्थित गोपालदास लीलाराम किराणा स्टोर पर वार अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित कार्यवाही की जायेगी।

नींव खुदाई के दौरान मिली इंसानी हड्डियां

टोंक, (कासं)। निवाई के बापू नगर कॉलोनी में एक निर्माणधीन प्लॉट की नींव खुदाई के दौरान इंसानी हड्डियां मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हड्डियों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा पुलिस ने मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला बुधवार को निवाई कस्बे के 80 फीट रोड स्थित बापू नगर कॉलोनी का है, जहां मजदूरों ने नींव की खुदाई के दौरान हड्डियां देखीं, जिसके

■ पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

बाद उन्होंने तत्काल काम रोक दिया और स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी। बाद में सूचना मिलते ही निवाई थाना पुलिस के एसआई राजेंद्र सिंह जावे के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने निर्माणधीन प्लॉट को सुरक्षित कर हड्डियों को उप जिला अस्पताल निवाई

भिजवाया। पुलिस उपाधीक्षक रविप्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हड्डियां काफी पुरानी प्रतीत हो रही हैं, उनकी वास्तविक स्थिति और समय का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। जानकारी के अनुसार, जिस स्थान पर वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है, वह पहले चरागाह भूमि थी। बाद में निवाई नगरपालिका द्वारा इसे कॉलोनी के रूप में विकसित किया गया। पुलिस सभी पहलुओं पर गौर करते हुए जांच कर रही है।

अवैध अफीम व गांजे के पौधे जब्त

उदयपुर, (कासं)। भीण्डर थाना पुलिस ने खेत में लगे अवैध अफीम व गांजे के पौधों को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया। भीण्डर थानाधिकारी पूनराम गुर्जर मय टीम ने सूचना के आधार पर भीखारनिया गांव में रामदेव तिराये से महेन्द्रसिंह पुत्र भेरुसिंह के चार टुकड़ी खेत से अवैध मादक पदार्थ गांजा की फसल के 10 बोरो हेरें पौधे कुल 369.500 किलोग्राम एवं हेरें पौधे 597.880 किलोग्राम अफीम की फसल के पौधे जब्त कर प्रकरण दर्ज किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पाल कोलखंडा निवासी हितेश परमार ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि हरीश परमार और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर अपने छोटे भाई देवीलाल के पेट में चाकू घोंप दिया था। हमले में देवीलाल गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही बेहोश हो गया था। आरोपियों ने हितेश परमार पर भी चाकू से हमला किया था। घायल देवीलाल

■ मरम्मत, रंगरोगन व जलापूर्ति दुरुस्त, नगर पालिका का भी रहा सहयोग

स्वरूप पूरी तरह बदल गया। इसके साथ जलापूर्ति व्यवस्था के लिए भीण्डर क्लब द्वारा नगर पालिका पार्श्व जितेन्द्र साहु को अवगत कराया।

इस पर पालिका के सहयोग से नई पानी की टंकी एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए गए। भीण्डर क्लब द्वारा इन्हें स्थापित कर पूरे परिसर में नियमित और सुचारु जलापूर्ति शुरू की गई। इस अवसर पर भीण्डर क्लब संरक्षक चमन सोनी, पंकज व्याा, अध्यक्ष रत्नेश कोठारी, कोषाध्यक्ष शरद अठावाल, सचिव विकास चव्हाण, पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राठौड़, पवन मंदावत, जितेन्द्र साहु, सदीप सामरिया आदि उपस्थित रहे।

खस्ताहाल महिला स्नानघर का भीण्डर क्लब ने बदला स्वरूप

भीण्डर, (निसं)। महिलाओं की गरिमा और सुविधा से जुड़ा एक सराहनीय उदाहरण भीण्डर नगर में देखने को मिला। एक माह पहले तक जिस सार्वजनिक महिला स्नानघर में जाने से महिलाएं असहज महसूस करती थीं, आज वही स्नानघर अपने बदले हुए स्वरूप के कारण प्रशंसा का केंद्र बन गया है। भीण्डर नगर के एकमात्र सार्वजनिक महिला स्नानघर की बदहाल स्थिति को भीण्डर क्लब ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए उसका स्वरूप बदल दिया है। भीण्डर क्लब की पहल और नगर पालिका के सहयोग से महिला स्नानघर में मरम्मत कायां, व्यापक सफाई, रंगरोगन एवं जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किया गया।

महिला स्नानघर में लंबे समय से गंदगी का अंबार और छज्जों पर मधुमक्खियों के छत्ते होने से उड़ती मक्खियों से महिलाओं को परेशानी का



भीण्डर क्लब की पहल के बाद बदला स्वरूप।

सामना करना पड़ता था। नलकूप से आने वाले पानी की अनियमित সরलाई और जर्जर दीवारों के कारण स्नान करना कठिन हो गया था। कई बार शिकायतों के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था।

समस्या को गंभीरता से लेते हुए

भीण्डर क्लब संरक्षक कैलाश जांगिड ने पहल करते हुए सबसे पहले पूरे स्नानघर की गहन सफाई करवाई गई और मधुमक्खियों के छत्तों को सुरक्षित तरीके से हटाया गया। इसके बाद भवन की मरम्मत कर पूरे परिसर में रंगरोगन कराया गया, जिससे स्नानघर का

कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पुलिस के लिए अनसुलझी पहेली बनी

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पुलिस के लिए अभी रहस्य बनी हुई है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उनके बर्तन-चहर, कपड़ों की भी जांच होगी। साध्वी प्रेम बाईसा, उनके पिता वीरमनाथ और सेवादार सुरेश का मोबाइल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस की साइबर सेल इन मोबाइल का डिलीट रिकॉर्ड रिकवर कर रही है। इसके बाद इन्हें एफएसएल टीम को सौंपा जाएगा।

एफएसएल के सीनियर अधिकारी इन सैपल की जांच में जुट गए हैं। करीब 7 दिन में एफएसएल अपनी रिपोर्ट को एसआईटी को देगी। इसके अलावा साध्वी प्रेम बाईसा, उनके पिता और सेवादार के मोबाइल का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। 28 जनवरी को हुई कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में जिस तरीके से हर दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं, उस स्थिति में एफएसएल की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जोधपुर के बोरानाड़ा स्थित

आरती नगर आश्रण से एफएसएल टीमों ने रविवार को एफएसएल सबूत जुटाने शुरू किए थे। इस केस के खुलासे के लिए दो तरीके से पर जांच हो रही है। साध्वी प्रेम बाईसा, उनके पिता वीरमनाथ और सेवादार सुरेश का मोबाइल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस की साइबर सेल इन मोबाइल का डिलीट रिकॉर्ड रिकवर कर रही है। इसके बाद इन्हें एफएसएल टीम को सौंपा जाएगा।

साध्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के कुछ घंटों बाद ही सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर आया था। जिसमें कई तरह के आरोप लगाए गए थे। जांच के दौरान मोबाइल में मौजूद टेक्स्ट मैसेज और कथित सुसाइड नोट की भाषा और शब्दों की तुलना पहले पोस्ट किए गए मैसेज से होगी। ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सुसाइड नोट साध्वी प्रेम बाईसा ने ही लिखा था या किसी ओर से लिख कर पोस्ट किया है।

साध्वी के शरीर के अंदरूनी अंगों

■ गुत्थी को सुलझाने के लिए उनके बर्तन-चहर, कपड़ों की भी जांच होगी, जिस कमरे में उनकी मौत हुई, वहां की मिट्टी से लेकर कंघा और बालों जैसे 33 अलग- नमूने तक जुटाए गए हैं। साध्वी को जहर दिया गया था या नहीं? इसकी जांच के लिए विसरा का नमूना भी एसएफ एल की लैब में पहुंच गया है

■ पुलिस की साइबर सेल इन मोबाइल का डिलीट रिकॉर्ड रिकवर कर रही है। इसके बाद इन्हें एफएसएल टीम को सौंपा जाएगा

का विसरा जुटाया गया है। विसरा जांच के बाद यह साफ हो सकेगा कि साध्वी प्रेम बाईसा के शरीर में किस प्रकार का पदार्थ (विषाक्त) गया, जिससे उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि मौत हो गई। अगर विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि होती है, तो पुलिस पूरे मामले की जांच आत्महत्या और हत्या के एंगल से करेगी। तब तक एफएसएल उन 33 नमूनों की भी जांच कर लेगी जो घटनास्थल से जुटाए गए हैं। उस रिपोर्ट

के आधार पर पुलिस पता लगाएगी कि साध्वी को जहर दिया गया या फिर खुद लिया था। अगर विसरा रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के जहर की पुष्टि नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में साध्वी के पिता वीरमनाथ और सेवादार सुरेश के पॉलीग्राफी टेस्ट कराए जा सकते हैं।

राजस्थान एफएसएल के डायरेक्टर डॉ. अजय शर्मा ने बताया कि पहली बार है, जब किसी संदिग्ध मौत की जांच के लिए इतने सैपल लिए

पुलिस के सर्जिकल स्ट्राइक में मध्यप्रदेश की ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड

जयपुर। झालावाड़ पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। डीआरआई जयपुर के इनपुट पर की गई इस संयुक्त कार्यवाही में पुलिस ने 320.72 किलोग्राम संदिग्ध केमिकल और पिकअप व महिंद्रा टीयूवी जन्त कर 5 तस्करी को डिटेन किया है।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मंगलवार 3 फरवरी की रात को झालारापाटन थानाधिकारी अल्का और डीएसटी प्रभारी मोहन लाल के नेतृत्व में टीमों ने ग्रेड सेंटर चौराहे पर खड़ी संदिग्ध पिकअप और महिंद्रा टीयूवी को चैक किया।

तलाशी के दौरान पिकअप में घरेलू सामान के नीचे छिपाए गए 6 ड्रम बरामद हुए। इनमें 2-ब्रोमो 4-मिथाइल प्रोपियोफेनोन नामक केमिकल भरा था, जिसका उपयोग एमडी जैसी खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में किया जाता है।

प्रारंभिक पूछताछ में पकड़े गए तस्करी दीपक (30), जितेंद्र सिंह (41) और शैलेंद्र विलाला (26) निवासी आगर मालवा मध्य प्रदेश ने खुलासा किया कि वे यह केमिकल ट्रांसपोर्ट के जरिए महाराष्ट्र से कोटा मंगवाया था। वहां से इसे किराये की पिकअप में भरकर मध्य प्रदेश के आगर में जयनारायण उर्फ मामू को डिलीवरी देने जा रहे थे। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मध्य प्रदेश के सुसनेर में दबिब देकर मुख्य रिसीवर जयनारायण मामू और उसके साथी रामलाल को भी बंदीच लिया।

मामू से कड़ी पूछताछ के बाद

■ तलाशी के दौरान पिकअप में घरेलू सामान के नीचे छिपाए गए 6 ड्रम बरामद हुए। इनमें 2-ब्रोमो 4-मिथाइल प्रोपियोफेनोन नामक केमिकल भरा था, जिसका उपयोग एमडी जैसी खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में किया जाता है

पुलिस राजगढ़ जिले के माचलपुर पहुंची। हालांकि मुख्य सरगना रघुनंदन पाटीदार अपनी कार लेकर फरार हो गया, लेकिन जब पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी तो वहां पूरी ड्रग्स फैक्ट्री संचालित होती मिली। मौके से भारी मात्रा में ड्रग्स बनाने के उपकरण और अन्य केमिकल बरामद किए गए। इस कार्यवाही में मध्य प्रदेश की आगर और राजगढ़ पुलिस का विशेष सहयोग रहा।

इस पूरे ऑपरेशन में डीआरआई जयपुर के इनपुट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एसपी अमित कुमार के अनुसार आरोपियों के खिलाफ एन्डोपीएस एक्ट की धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अब पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि यह केमिकल कहां से सप्लाई हो रहा था और इसका नेटवर्क राजस्थान व मध्य प्रदेश के किन-किन हिस्सों में फैला है।

चाकू मारकर छोटे भाई की हत्या

■ बड़ा भाई, भाभी और भतीजी गिरफ्तार एक नाबालिग को किया डिटैन

डूंगरपुर, (निसं)। दोवडा थाना पुलिस ने छोटे भाई की हत्या के आरोप में बड़े भाई, भाभी और भतीजी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। यह घटना 30 जनवरी को पाल कोलखंडा में हुई थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पाल कोलखंडा निवासी हितेश परमार ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि हरीश परमार और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर अपने छोटे भाई देवीलाल के पेट में चाकू घोंप दिया था। हमले में देवीलाल गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही बेहोश हो गया था। आरोपियों ने हितेश परमार पर भी चाकू से हमला किया था। घायल देवीलाल

को डूंगरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दोवडा थाने के थानाधिकारी ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने बड़े भाई हरीश परमार भाभी चंदू देवी परमार और भतीजी अंजना परमार को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी पाल कोलखंडा के निवासी हैं। इसके अतिरिक्त एक नाबालिग को भी इस मामले में डिटैन किया गया है।

धमका कर अवैध वसूली के मामले में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। जिले की सुखेर थाना पुलिस ने डरा-धमका कर अवैध वसूली के मामले में कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर नारायण दास वैष्णव को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी रविन्द्र चारण के अनुसार यह हाईकोर अपराधी दिलीप नाथ गिरोह का सदस्य है। उसके साथ मिलकर पूर्वा में गंभीर घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में डराने-धमकाने, मारपीट, आर्म्स एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं। सुखेर निवासी अथय डांगी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी

जिसमें बताया था कि इंस्टाग्राम के जरिए उससे कर भाभी रूपयों की मांग की गई। रूपये नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई।

उल्लेखनीय है कि 5 माह पूर्व आरोपी नारायण दास को महिला वेश में घूमते हुए पकड़ा था। आरोपी पर 10 हजार रूपये का इनाम घोषित था। उस वक्त इसे जमीन मालिक को धमका कर 35 लाख रूपये की अवेध वसूली मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर अपराधी दिलीपनाथ के साथ मिल कर इस घटना को अंजाम दिया था।

कार्यालय जिला पटिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग धौलपुर

क्रमांक : साम्जाअधि/2025/3232 दिनांक 28.01.2026

Notice Inviting Bid 02/2025-26

E- Bid for foam based orthopaedic mattresses for various government hostels operating under social justice and empowerment department dholpur are inviting from interested bidder upto 29/01/2026 10:00AM to 08/02/2026 05:00PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajasthan.gov.in> and <http://sppp.raj.gov.in>) of the state; and social justice and empowerment department website. The approximate value of the procurement is RS. 13.70 Lakhs.

UBN no. SOC2526GLRC00365
UBN no. SOC2526A0335

जिला पटिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, धौलपुर

DIPRC/2008/2026

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड धौलपुर

मन्सकुण्ड पीरगहा जी०टी०रोड धौलपुर
फोन नं. 05642-220728, ई-मेल ee.dho.phed@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- 3377-84 दिनांक: 23.01.2026

ई-निविदा सूचना संख्या 98 / 2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड के अधीन विभिन्न कार्यों की उपरोक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रथम में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बंधित विस्तृत विवरण निम्न यू.बी.एन. के अनुसार www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.rajwater.gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउन लोड भी किये जा सकते है।

एन.आई.डी.नं.	PHE2526A 5568
यू.बी.एन.	PHE2526WSOB 11450

(जीएनए लवागिा)
DIPRC/1698/2026 अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड धौलपुर

कार्यालय भू-सम्पत्ति अधिकारी
रानी केदारकावत रोडजल कृषि विद्यालय, बैकानेर

निविदा सूचना संख्या 13 (2025-26)

मुख्यालय का नाम	कार्यालय भू-सम्पत्ति अधिकारी, रचामी
निविदा का कार्य	केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर निर्माण कार्य
निविदाओं की कुल लागत	रु. 28.45 लाख
निविदा बेचने की अंतिम तारीख	06.02.2026 को सायं 1:00 बजे तक
निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख	07.02.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तारीख	07.02.2026 को दोपहर 2.30 बजे।

UBN : SKA2526WSOB00137 To SKA2526WSOB00143

आर.पी.डब्ल्यू.ए. 100 एवं Rajasthan Transparency in Public Procurement act 2012 की शर्तें लागू होंगी।

नोट :- निविदा से सम्बंधित पूर्ण विवरण वेबसाइट www.raubikaner.org, www.sppp.rajasthan.gov.in, www.dipr.rajasthan.gov.in/tenders.asp देखा जा सकता है।

रज.हावट.डी/25/19100 भू-संपत्ती अधिकाारी

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्वस्थ अभियांत्रिकी विभाग वृत्त अजमेर

सीहाखान टोला रोडके.के. नगर, अजमेर
दूरभाष नम्बर 0145-2970165, E-Mail Address: seajmejr@gmail.com दिनांक : 30/1/2026

क्रमांक: अधीक्षण अभियन्ता जनस्वास्वस्थ अभियांत्रिकी विभाग वृत्त अजमेर 0145-2970165, E-Mail Address: seajmejr@gmail.com दिनांक : 30/1/2026

निविदा सूचना (NIB No. 12 & 13/2025-26)

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों द्वारा निविदा संख्या 12 व 13/2025-26 पंजीकृत एवं अनुमोदी संवेदकों से ऑनलाइन सिस्टम ई-प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट पर आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदाओं की अनुमानित लागत राशि रुपये 260.00 लाख है। विस्तृत निविदा सूचना जन सम्पर्क निदेशालय की वेबसाइट पर तथा निविदा प्रथम वेबसाइट <http://raj.raj.raj.raj.gov.in> पर, राजस्थान तथा ई-प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट से दिनांक 30.01.2026 से दिनांक 09.02.2026 को सायं 06:00 बजे तक डाउनलोड एवं इसी समय तक बिडे प्रस्तुत की जा सकती है। निविदाओं की तकनीकी बिडे दिनांक 10.02.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे खोली जायेगी। उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन वेबसाइट एन.पी.पी.पी. पर निविदा संख्या 12 हेतु आई.डी.डी. क्रमांक PHE2526A5860 और यू.बी.एन. PHE2526WSOB12348 तथा निविदा संख्या 13 हेतु आई.डी.डी. क्रमांक PHE2526A5849 और यू.बी.एन. नम्बर PHE2526WSOB12322 से निविदा प्रपत्रों का प्रकाशन किया गया है।

(रामचन्द्र राड़)
अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्वस्थ अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त अजमेर

DIPRC/1766/2026

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्वस्थ अभियांत्रिकी विभाग वृत्त अजमेर

सीहाखान टोला रोडके.के. नगर, अजमेर
दूरभाष नम्बर 0145-2970165, E-Mail Address: seajmejr@gmail.com दिनांक : 30/1/2026

क्रमांक: अधीक्षण अभियन्ता जनस्वास्वस्थ अभियांत्रिकी विभाग वृत्त अजमेर 0145-2970165, E-Mail Address: seajmejr@gmail.com दिनांक : 30/1/2026

निविदा सूचना (NIB No. 12 & 13/2025-26)

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों द्वारा निविदा संख्या 12 व 13/2025-26 पंजीकृत एवं अनुमोदी संवेदकों से ऑनलाइन सिस्टम ई-प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट पर आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदाओं की अनुमानित लागत राशि रुपये 260.00 लाख है। विस्तृत निविदा सूचना जन सम्पर्क निदेशालय की वेबसाइट पर तथा निविदा प्रथम वेबसाइट <http://raj.raj.raj.raj.gov.in> पर, राजस्थान तथा ई-प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट से दिनांक 30.01.2026 से दिनांक 09.02.2026 को सायं 06:00 बजे तक डाउनलोड एवं इसी समय तक बिडे प्रस्तुत की जा सकती है। निविदाओं की तकनीकी बिडे दिनांक 10.02.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे खोली जायेगी। उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन वेबसाइट एन.पी.पी.पी. पर निविदा संख्या 12 हेतु आई.डी.डी. क्रमांक PHE2526A5860 और यू.बी.एन. PHE2526WSOB12348 तथा निविदा संख्या 13 हेतु आई.डी.डी. क्रमांक PHE2526A5849 और यू.बी.एन. नम्बर PHE2526WSOB12322 से निविदा प्रपत्रों का प्रकाशन किया गया है।

(रामचन्द्र राड़)
अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्वस्थ अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त अजमेर

DIPRC/1766/2026

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, नगर खण्ड प्रथम कोटा

:- निविदा सूचना संख्या 16/2025-26:-
UBN Code: PHE2526WSOB11492

समुचित वर्ग के सूचीबद्ध सार्वजनिक सेवाओं के निम्न कार्य करने हेतु राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से राजस्थान कोटा उपग्राम में पारदर्शिता अभियान, 2012 एवं निम्न 2013 के अन्तर्गत पेयजल कार्यों से सम्बन्धित सेवाओं के उपग्रामों के सम्बन्ध में दिना-निर्देशानुसार ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु नियमानुसार विहित अग्रिम नगरीय देने के पश्चात् निविदा हेतु पात्र होंगे, निष्पक्षित प्रथम में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाएं दो तिफिका पद्धति में आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म ऑनलाइन वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से दिनांक 02.02.2026 वता: 10:00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते है। ऑनलाइन निविदाएं इसी वेबसाइट पर इच्छुक संवेदकों द्वारा दिनांक 02.02.2026 से दिनांक 12.02.2026 तक सायं 6:00 बजे तक उपलब्ध किये जा सकते है। वेबसाइट पर उक्त संम्बुध्द दिनांक 13.02.2026 को इस कार्यलय में दोपहर 2:00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन कार्य दिवस को उसी समय पर निविदा खोली जायेगी। निविदा शुल्क / प्रतियोगी शुल्क निविदादाता द्वारा ऑन लाईन बालान द्वारा निविदा प्रपत्रों में विवद अनुसार इस कार्यलय में सभी निविदा प्राप्ति की दिनांक 13.02.2026 तक को दोपहर 01:00 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है। निविदा से सम्बंधित विस्तृत विवरण निम्नलिखित वेबसाइट पर देखे जा सकते है:-

1. www.dipronline.org
2. http://www.eproc.rajasthan.gov.in
3. <http://sppp.rajasthan.gov.in>

DIPRC/1749/2026 "जल ही जीवन है"

(अभिषेक मिश्रा)
अधिशाषी अभियन्ता जनस्वास्वस्थ अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त अजमेर

राजस्थान सरकार

निदेशालय खाद्य एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक निदेश.ख.अ. नीलामी। निलामी (ML01)/2026ई - 14179

ई-नीलामी विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अध्याम खनिज रिहायत निगमावली, 2017 के अध्याय-III के तहत निम्नांकित प्लॉटों के आधेन ई-नीलामी के माध्यम से किये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर बोली आमंत्रित की जाती है। शक्ति विवरण इस प्रकार है:-

जिला	तहसील	राजस्व ग्राम	खनिज का नाम	कुल प्लॉट
चित्तौड़गढ़	निम्बाहोड़	गढ़वाडा	मैसेनरी स्टोन (एन-सेण्ड हेतु)	2
डींग	सीकरी	बारबकुआ	मैसेनरी स्टोन	4
सवाई माधोपुर	बजीपुर	श्यारोली	मैसेनरी स्टोन	9
चित्तौड़गढ़	भदोसर	भालोटे	मार्बल	6
झालावाड़	बकानी	बरखेडा कलां	मैसेनरी स्टोन	5
बाड़मेर				